UPBN010018832024

न्यायालयः–सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद–बदायूं।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–618/2024

हसनवी बनाम राज्य

मु०अ०सं०–35/2024
धारा–420,411, 413, 414 भा०दं०सं० तथा
4/25(1–बी)(ए)आयुध अधिनियम
थाना–उसहैत, जनपद बदायूँ।

दिनॉकः28.02.2024

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **हसनवी आयु 25 वर्ष पुत्र गुलाम रसूल निवासी ग्राम दूदेनगर थाना उझानी जिला बदायूँ** की ओर से मु०अ०सं०–35/2024 अन्तर्गत धारा–420,411, 413, 414 भा०दं०सं० तथा 4/25(1–बी)(ए) आयुध अधिनियम थाना उसहैत जिला बदायूँ के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती नूर सवा पत्नी नन्हे की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक–08.02.2024 को मैं उ 0 नि0 योगराज सिंह मय हमराही उ 0 नि0 श्री जाहिद हुसैन, HC 441 नीरज कुमार, HC 718 विपिन कुमार मय जीप सरकारी नं0 UP24G–0308 बतौर कां0 चा0 1214 ओमवीर सिंह के थाना हाजा से बहवाले रपट नं 39 समय 16.10 बजे वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था रोकथाम अपराध, चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन मैं रवाना होकर गस्त करते हुए मिर्जापुर अतिराज के चौराहे पहुँचे गाडी खडी कर चौराहे पर आने जाने वाले वाहनों की चैंकिग करने लगे कुछ देर बाद कस्वा म्याऊँ की ओर से तीन लडके अलग–अलग मोटर साईकिल पर आते दिखाई दिये पास आने पर हम पुलिस वालों द्वारा तीनों को रोकने का प्रयास किया गया तो तीनों मोटर साईकिल चालक सकपकाकर पीछे मुडकर भागने का प्रयास करने लगे जिनमें से एक मोटर साईकिल चालक फिसलकर गिर गया हम पुलिस वालों को शक होने पर एक बारगी दबिश देकर इन तीनों मोटर साईकिल चालकों को मौके पर ही पकड लिया पकडे गये तीनों व्यक्तियों से बारी–बारी नाम पता पूछते हुए है जामा तलाशी ली गई तो काले रंग की स्पलेन्डर प्लस मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट पर सवार पहले व्यक्ति ने अपना नाम अली हुसैन पुत्र इजा हुसैन उर्फ भूरे निवासी ग्राम श्रीनगर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर बताया

Digitally signed by MOHD NASIM
Date: 2024.02.28 17:05:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इसकी जामा तलाशी से पहनी पैट की बायीं फैट से एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर जिसकी हुलिया फर्द मुताबिक है। दूसरा व्यक्ति जो काले रंग की स्पलेण्डर मोटर साईकिल नं0 UP–24 AA–9033 पर सवार है ने अपना नाम हसनवी पुत्र गुलाम रसूल निवासी ग्राम इददे नगर थाना उझानी जिला– बदायूँ बताया इसकी जामा तलाशी से पहनी पैंट की बॉयीं फैट से एक अदद चाकू फर्द मुताबिक बरामद हुआ। फिसल कर गिरी काली लाल विक्रान्ता मोटर साईकिल पर सवार पकडे व्यक्ति ने अपना नाम सलमान पुत्र गुलशेर निवासी मोहल्ला गौसनगर कस्बा व थाना दातागंज जिला बदायूँ बताया जिसकी तलाशी से पहनी पैंट की दाहिनी फैट से एक अदद तमंचा 315 बोर फर्द मुताबिक बरामद हुये। पकड़े गये तीनों व्यक्तियों से और गहनता से पुछताछ करते हुये बरामद चाकू व तमंचा व मोटर साईकिल के कागजात तलब किये गये तो तीनों ने एक सूर में बताया की साहब हम तीनों लोग मिल कर बदायूँ व आसपास के जिलों से मोटर साईकिल की चोरी कर छिपा देते हैं यह तीनों मोटर साईकिल भी चोरी की हैं जिनको हमने अलग अलग जगह से चोरी किया था और आज हम इन्हे बेचने जा रहे कि हमें आपने पकड़ लिया पकड़े पहले व्यक्ति अली हसैन से बरामद स्प्लेण्डर मोटर साईकिल बिना नम्बर पर इंजन नम्बर HA10AGKH78729 चैसिस नं. MBLHAW092KHJ67191– अंकित है इसके चैचिस नं. को ई–चालान एप पर चैक किया गया तो इसका रजिस्ट्रेशन नं. UP–24 AM 5830 पाया। पकड़े गये दूसरे व्यक्ति हसनवी से बरामद स्प्लेण्डर मोटर साईकिल रंग काला पर रजिस्ट्रेशन नं. UP–24AA 9033 चैचिस नम्बर– 03L15M32461 पाया। पकड़े गये तिसरे व्यक्ति से बरामद काली लाल विक्रान्ता मोटर साईकिल पर इजन नं0 JHZRGB27698 चैचिस नं0 MD2A74– BZXGRB27215 व आगे न. प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर DL–5–SAT 6 अंकित है जिसके चैचिस नं. को ई–चालान एप पर चैक किया गया तो इसका रजिस्ट्रेशन नं. DL–5–S– AT 3386 पाया पकडे गये तीनों व्यक्तियों का यह जुर्म धारा 420,411,413,414 भादवि व 3/25 (1–B)a, 4/25 (1–B)b. A. Act. की हद को पहुँचाता है पकडे गये व्यक्तियो को इनके जुर्म धारा 420,411,413,414 भादवि व 3/25 (1–B)a, 4/25 (1– B)b. A. Act से अवगत कराते हुए समय करीब 16.55 बजे हिरासत पुलिस व बरामद माल को कब्जा पुलिस लिया गया इस गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकर आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आने जाने वाले व्यक्तियों को मकसद बताकर गवाही हेतु कहा गया तो कोई भी व्यक्ति भलाई–बुराई के कारण गवाही को तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये बरामदा तमंचों व कारतूसों को अलग– 2 एक सफेद कपडे में रखकर शीकर सील सर्वे मोहर कर व बरामदा चाकू को को एक

अलग कपडे में रखकर शीकर सील सर्वे मोहर कर अलग–2 नमूना मोहर तैयार किया गया। उक्त आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार दिया गया है कि उक्त बाद में प्रार्थी को बेवजह पार्टीबन्दी रंजिशन झूठा फंसाया गया है। कस्बा उसहैत मे ही प्रार्थी अपनी मौसी श्रीमती जरीना पत्नी हवीबुल्ला के घर पर रिश्तेदारी में था, जहाँ से स्थानीय पुलिस ने पकड़कर प्रार्थी के कब्जे से कथित मोटर साइकिल की बरामदगी दर्शायी है। घटना व्यस्तम मिर्जापुर अतिराज चौराहे की बतायी जाती है लेकिन फिर दिन का समय होने पर भी जनता का कोई गवाह घटना के समय न होना, घटना को संदिग्ध एवं अविश्वसनीय बनाता है। घटना के समय पुलिस पार्टी द्वारा जनता के गवाहन को फराहम करने का प्रयास करना भी घटना को संदिग्ध बनाता है। प्रार्थी से बरामदशुदा बतायी गयी मोटर साइकिल किसी भी अपराध से सम्बन्ध नही है जो पुलिस द्वारा प्रार्थी पर लगायी प्लेन्ट है। प्रार्थी के विरूद्ध सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध नही बनता है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है और न ही पूर्व सजायाफ्ता है। प्रार्थी के न्याय से भागने अथवा गवाह तोड़ने की कोई सम्भावना नही है। प्रार्थी निर्दोष है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर मोटर साइकिल चोरी करने तथा उनके नम्बर प्लेट, इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर धोखाधड़ी करके परिवर्तित कर कूट रचना कर उसको असली के रूप में प्रयोग कर अपने आर्थिक लाभ हेतु विक्रय करने तथा नजायज असलाह रखने का आरोप है। मामले में उपरोक्त बरामदगी का कोई भी जनसाक्षी दर्शित नही किया गया है, जबकि अभियुक्त को व्यस्त मार्ग जहाँ पुलिस चैंकिग कर थी, पकड़े जाने का कथन किया गया है। थाना हाजा पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध 11 मुकदमों का आपराधिक इतिहास दर्शित किया है जो धारा–379 भा०दं०सं० जनपद चण्डीगढ़ पंजाब से सम्बन्धित हैं तथा मु०अ०सं०–51/2024 धारा–379 भा०दं०सं० थाना दातागंज बदायूँ व मु०अ०सं०–2828/2023 धारा–379 भा०दं०सं० थाना सोनिया विहार नई दिल्ली दर्शित किया गया है, परन्तु थाना हाजा द्वारा उपरोक्त मामलो मे दोषसिद्ध के बावत कोई भी प्रपत्र दाखिल नही किया गया है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक–09.02.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध है। पूर्व मे दिनाँक–21.02.2024 को सहअभियुक्त की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अतः प्रस्तुत

मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अपराध में जमानत पर रिहा किये जाने का न्यायोचित आधार पाता है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **हसनवी आयु 25 वर्ष पुत्र गुलाम रसूल निवासी ग्राम दूदेनगर थाना उझानी जिला बदायूँ** का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय–33 में अन्तर्विष्ट जमानत व बन्धपत्रों के बारे में उपबन्धित विधि, नियम एवं शर्तो के अनुपालन में उक्त अपराध में जमानत पर रिहा किया जावे।

1– अभियुक्त धारा–437(3),अध्याय–33 दं.प्र.सं. में उल्लिखित बंधपत्र शर्तों का कठोर पालन करेगा।

(क) ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध का जिसे करने का उस पर अभियोग है उस अपराध की या अन्य किसी अपराध को करने की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

(ग) किसी साक्षी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पक्ष में साक्ष्य देने हेतु धमकी, उत्प्रेरणा आदि नहीं करेगा। साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(घ) अभियुक्त विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

2– उक्त शर्तों के उल्लंघन करने की स्थिति में विचारण न्यायालय को यह स्वतन्त्रता होगी कि जमानत के दुरूपयोग के सम्बन्ध में विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(मो०नसीम)
सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद–बदायूँ।